

Annexure "A"

FINANCIAL BID

Name of Empanelled Firm	
Division with which Empanelled	
Contact Person	
Mobile No.	
Mail ID	
PAN No.	
GST No.	

Sr No	Item	Rate	GST
1	Running Rate per KM (Max 80 Km per day) Rate per KM – Per Van		
2	Running Rate per KM (Beyond 80 Km per day) Rate Per KM - Per Van		
3	Other Van Charges Inclusive van running, Fabrication, Sound system, Driver charges, Toll, Parking , all other charges) Rate in Rs - Per Van (for 30 days)		

The above rates quoted are to the operation of publicity van for the Branch/SO's of Divisional office, Ajmer. A total of three Vans will be operated in the Ajmer, Bhilwara & Kota rural & urban area. This includes 20 Branch office & 13 Satellite offices . Rates in the quotation should be quoted on per van basis. Attach self attested copies of Pan Card & GST Certificate.

Signed & stamped terms & conditions letter attached herewith are acceptable to us.

Date:

Signature of Authorized Signatory

Firm Seal



अजमेर मण्डल


TERM & CONDITIONS OF THE RATE CONTRACT

(Tender No. 12)

- 1.1 निविदा टाइप कि हुई अथवा स्पष्ट रूप से सुवाच्य लिखी हुई मुहर बंद लिफाफे में जिस पर “ TENDER QUOTATION FOR MOBILE VAN ACTIVITY “ उल्लेखित हो में प्रस्तुत किया जाना है।
- 1.2 रेट निविदा केवल LIC कार्यालय अजमेर, जयपुर -1 , जयपुर -2 , जोधपुर, बीकानेर & उदयपुर मण्डल कार्यालयों में एम्पैनल्ड फर्म से ही स्वीकार्य है । (एम्पैनल्ड पत्र की कॉपी संलग्न करें)
- 1.3 मोबाईल पब्लिसिटी वैन दर प्रति वैन से प्रस्तुत की जाना है। दर क्र.1 & 2 प्रति किलोमीटर से हिसाब से & क्र स 3 के अंतर्गत समेत वैन व्यय खर्चें (जैसे चालक व्यय , टोल टैक्स, पार्किंग, वैन साज सज्जा , ध्वनि प्रणाली, डीजल, पेट्रोल आदि समस्त तरह के वैन व्यय शामिल) , एक मुश्त 30 दिनों के लिए भरा जाना है । किसी कारणवश वैन कम दिवस हेतु संचालित होती है तो उक्त व्यय को अनुपातिक कम किया जाएगा ।
- 1.4 मोबाईल पब्लिसिटी वैन कुल 30 दिनों तक संचालित होना प्रस्तावित है , जिसको सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाया / घटाया जा सकता है , कुल तीन वैन का संचालन एक साथ होगा, अजमेर , भीलवाड़ा और कोटा के तीन क्षेत्रों की शाखा /सेटेलाइट कार्यालयों के एरिया में संचालन होगा , तीनों वैन को एक साथ मण्डल कार्यालय , अजमेर से रवाना किया जायेगा ।
- 1.5 मोबाईल वैन का संचालन स्थानीय शाखा कार्यालय के सक्षम अधिकारी की सहमति से रुट मैप के अनुसार होगा । मोबाईल वैन के संचालन की प्रति दिन आधार पर लोग बुक में प्रविष्टी कर स्थानीय शाखा कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराया जायेगा ।
- 1.6 मोबाईल वैन का संचालन 80 किलो मीटर अधिकतम प्रतिदिन चलेगी, अगर किसी विशेष कारण वश मोबाईल वैन का संचालन 80 किलो मीटर से अधिक किया जाता है तो अधिक किलोमीटर का भुगतान क्र. स. 2 में Quoted की गई दर से होगा ।
- 1.7 पब्लिसिटी मोबाईल वैन अच्छी चालू अवस्था Good running Condition में होनी चाहिये । मोबाईल वैन का साउंड सिस्टम बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिये ।
- 1.8 वैन की साज सज्जा Corporate Brand Identity के अनुसार होगी जिसकी स्वीकृति भारतीय जीवन बीमा निगम , मंडल कार्यालय , अजमेर से ली जायेगी ।
- 1.9 मोबाईल वैन के संचालन की अनुमति स्थानीय प्रशासन से आपके द्वारा स्वयं ली जायेगी ।
- 1.10 मोबाईल पब्लिसिटी वैन के संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति को वेडर द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा ।
- 1.11 कार्य के लिये कोई अग्रिम भुगतान नहीं होगा। भुगतान तभी जारी किया जाएगा जब पब्लिसिटी बैन कार्य आदेश में निर्दिष्ट सभी स्थानों को कवर कर लेगी। भुगतान में केवल अंतिम यात्रा बिंदू से आरम्भिक बिंदू तक की यात्रा शामिल होगी, बिल एवम लोग बुक के



- सत्यापन के आधार पर भुगतान किया जायेगा तथा बिल के भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी ।
- 1.12 सक्षम अधिकारी के पास/ आदेश निरस्त करने, निविदा को आंशिक अथवा पूर्णतः अस्वीकृत करने आदि के समस्त अधिकार सुरक्षित होंगे, जो आप पर लागू होंगे। सक्षम अधिकारी को कार्य से संतुष्ट न हो तो दिया गये आर्डर को कार्यअवधि के पूर्व किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार रखता है ।
- 1.13 यदि कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो आर्डर रद्द कर दिया जाएगा और अगले सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा , सक्षम अधिकारी द्वारा उचित पेनल्टी लगाई जा सकती है ।
- 1.14 प्रस्तुत दरे वर्ष 2025 - 2026 पूरे एक वर्ष हेतु मान्य है , अनुमोदित दरे एक वर्ष हेतु वैध है परंतु निगम के विवेकानुसार आपसी सहमति से अतिरिक्त एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है , बशर्ते विक्रेता उन्ही दरो , नियमों और शर्तों पर काम करना जारी रखने के लिए सहमत हो ।
- 1.15 फर्म को अपनी तकनीकी एवं वित्तीय बोली (Technical & Financial Bid) सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी ।
- 1.16 रेट निविदा प्राप्त करने के लिये फार्म जमा कराने की अंतिम दिनांक 13.10.2025 सायं 4.15 PM बजे तक है। फार्म रुपये (100+ GST) 118/- कार्यालय में जमा करा कर उक्त दिनांक तक प्राप्त किया जा कर या LIC की वेबसाईट से डाऊनलोड कर , रुपये 118/- के डी.डी./बैंकर चैक भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में जारी किया हुआ हो के साथ डाक / कूरियर से जमा कराया जाना है , निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 1.17 सफल सेवा प्रदाता को रुपये 10,000 सुरक्षा निधि LIC के पास (कार्यादेश प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के भीतर) जमा कराना होगा । सुरक्षा निधि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा अनुबंध समाप्त होने पर उसे सेवा प्रदाता को लौटा दिया जाएगा ।
- 1.18 रेट निविदा के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वह अजमेर में उत्पन्न हुआ माना जायेगा तथा समस्त विवादों का निस्तारण सक्षम अधिकारी वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, अजमेर द्वारा किया जायेगा ।


वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक

उपरोक्त नियम और शर्तें हमे स्वीकार्य है ।

(मुहर सहित फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

